

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DEFENCE R&D ORGANISATION भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय GOVERNMENT OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु MARATHAHALLI COLONY P.O. BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1555 का संशोधन सहित नवीकरण/ Renewal of Type Approval No. 1555

विषय/Sub: चार्जिंग वाल्व /CHARGING VALVE

यह घोषित किया जाता है कि वैमानकीय विकास अभिकरण, बेगलूरु – 560 037 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (जीटीटीसी), बेंगलूरु – 560 010, कर्नाटक द्वारा उत्पादित "चार्जिंग वाल्व" पार्ट सं. ए1के-आई7-1440-000-002 और ए1के-आई7-1440-000-003 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1555, दिनांक 11 नवंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1555 जारी किया गया था तदुपरांत सेमिलैक/5070/टीए-1545/1ए दिनांक 31 मई 2013, सेमिलैक/5070/टीए-1545/अनुशेष-1, दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था और संदर्भ सं. सेमिलैक/टीए-1554 एवं 18 टीए/1ए/संशोधन-1, दिनांक 15 दिसंबर 2015 द्वारा संशोधन जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

This is to state that the "Charging Valve" bearing the Part No. A1K-17-1440-000-002 & A1K-17-1440-000-003 Designed, Developed by Aeronautical Development Agency, Bengaluru - 560 017 and Manufactured by M/s. Government Tool Room and Training Centre (GTTC), Bengaluru - 560 010, Karnataka, was issued with Type Approval No.: 1555 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1555, Dated: 11th November 2010 and subsequently Addendum issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1545/1A, Dated: 31st May 2013, CEMILAC/5070/TA-1545/Addm-1, Dated: 19th April 2011 & Amendment issued vide Ref. No.: CEMILAC/TA-1554 & 18 TAs/1A/Amd-1 Dated: 15th December 2015, which was valid up to 31st December 2015.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(वायुयान), सेमिलैक, मारतहल्ली पी.ओ, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st May 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1555/1R

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी. जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)